

सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्र०सं० | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि                       |
|---------|---|---------------|--------------------------------------|
| 1       | 2   | 3             | 4                                    |
| 1       | नरेश सिंह<br>पिता-रघुनन्दन सिंह<br>ग्राम-बख्तियारपुर<br>पोस्ट+थान-मानसी<br>जिला-खगड़िया         | हृदय रोग      | ₹ 50,000/- (पचास हजार)<br>स्वीकृत।   |
| 2       | जैनब खातुन<br>पति-अनवर मियां<br>ग्राम-जमालपुर<br>पोस्ट+थाना-आन्दर<br>जिला-सीवान                 | हृदय रोग      | ₹ 85,000/- (पचासी हजार)<br>स्वीकृत।  |
| 3       | अब्दुल मियां<br>पिता-स्व. बादल मियां<br>ग्राम-पो०-बड़का गांव<br>थाना-भगवानपुर हाट<br>जिला-सीवान | हृदय रोग      | ₹ 50,000/- (पचास हजार)<br>स्वीकृत।   |
| 4       | अवधेश सिंह<br>पिता-भोला सिंह<br>ग्राम-मुड़ाकरमवार<br>पो०-मुड़ाखाप<br>थाना-दरौली<br>जिला-सीवान   | हृदय रोग      | ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत।     |
| 5       | फातीमा सानी<br>पति-नवेद अहमद<br>ग्राम-पो०-हरेवा<br>थाना-सलखुआ<br>जिला-सहरसा                     | हृदय रोग      | ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार)<br>स्वीकृत। |
|         |   |               | कुल ₹० 3,00,000/-                    |


2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /—( तीन लाख ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849876 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार— चालु , बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन  
ह० /—  
(डा० राजधारी रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक पटना, दिनांक  
प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849876 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह० /—  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 270 (14) पटना, दिनांक - 10-3-15  
प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,  
अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम   | अनुदान की राशि                     |
|---------|--|-----------------|------------------------------------|
| 1       | 2  | 3               | 4                                  |
| 1       | संगीता देवी<br>पति-जालीम साह<br>मोहल्ला-रामबाबु यादव चकराम,<br>पो०-जी०पी०ओ०<br>थाना-बुद्धा कालोनी<br>जिला-पटना | हिप रिपलेस्मेंट | ₹ 50,000/- (पचास हजार)<br>स्वीकृत। |
|         |  |                 | कुल रू० 50,000/-                   |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- ( पचास हजार ) का क्रास चेक सं०..... 849877 ..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन


ह०/-

( डा० राजधारी रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 271 (14)

पटना, दिनांक - 10-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
04-03-15



